

2022/2864

फर्द अहकाम

- न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

नाम न्यायालय  
प्राथी  
मुकेश

बनाम

अप्राथीगण  
बदरी व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 128 एल. आर. एक्ट

दिनांक 7/22

के. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31/01/2022		प्राथी के द्वारा प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्राथीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 128 एल. आर. एक्ट पेश किया गया। प्राथीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्राथीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्राथीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 7/03/2022 को पेश हो।	
		<p>36</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर</p>	
7/3/22		<p>फावली आज पेक्षा ईर्वा प्राथी एवं अप्राथीगण स्वयं उपस्थित। प्राथी एवं अप्राथीगणों को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अप्राथीगणों के आराधना क्रिया गया कि प्राथी को मुक्ति के साथ-साथ अप्राथीगणों को मुक्ति की भी पाठ्यवली कर दी जाती है ताकि कार्य आसानी नतीजा अतः उभयपक्षों की सहमति के आधार पर प्राथी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल-आर-एक्ट को अमान्यता में लीकाट करके जाने का आदेश दिया जाता है कि प्राथी को वापस आराजी खतरा खतरा 39 खतरा 1-0748 एवं अप्राथीगण की वापस आराजी खतरा 4, 40, 43, 46 ग्राम केनाडा परवाहक केनाडा में अंलि वीरावस्सी नसील वस्सी (दिला जयपुर के संबंध में वीरवस्सी व चारपवरीमान के संबंध में लिखित कर उभयपक्षों को सुचित करती हुए उक्त लिखित वापस आरा प्रिमात को विभाजन करे। सिमाशन करने के पक्षचात अगर प्राथी वस्सी की वस्सी</p>	<p>वेदिस जारी</p> <p>55</p> <p>12/22</p> <p>7/3/2022</p> <p>न्यायालय</p> <p>7-3-2022</p> <p>07/03/2022</p> <p>7-3-22</p> <p>7/3/2022</p> <p>गोपाल</p> <p>7/3/2022</p> <p>राजवन गोपाल</p> <p>वस्सी</p> <p>7-3-22</p>

उप खण्ड अधिकारी  
बस्सी (जिला जयपुर)

मे अप्राणगिण की कृषि निकलती है तो उसे  
 प्राणी होने हेतु पावन्द होगा। और अगर  
 अप्राणगिण की कृषि में प्राणी की कृषि निकलती  
 है तो उसे अप्राणगिण होने हेतु पावन्द होगा।  
 और यदि दोनों की कृषि ही कम निकलती है तो  
 अनुपातिक रूप से दोनों ही पर कम कृषि पर  
 कानिज रहने हेतु पावन्द होगा। न्यायमालमलाभा  
 के निर्णय व आदेश की पालना हेतु गहलीलका  
 बस्ती का तहसील जारी है। परावली प्रमल  
 श्रमाट होकर वने नम्बर से कम होने पर वास्तव  
 निकलता है।

मंगलरामभोग

निर्णय आज दिनांक 7/3/22 के वृत्त न्यायमालम  
 एवं सर्वद्वजलास वृत्त न्यायमालम



उप खण्ड अधिकारी  
 बस्ती (जिला जयपुर)